

वर्शव अंतरराष्टरीय न्याय दविस

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

परतवर्ष 17 जुलाई को अंतरराष्टरीय आपराधक न्याय को बढावा देने और वैश्वक समुदाय को परभावत करने वाले गंभीर अपराधों के लयि दंड से मुक्तके खल्लिफ लड़ाई का सममान करने के लयि वर्शव अंतरराष्टरीय न्याय दविस मनाया जाता है ।

- ऐतहिसक महत्त्व: 17 जुलाई 1998 को रोम संवधि को अपनाने के साथ ही [अंतरराष्टरीय आपराधक न्यायालय \(International Criminal Court - ICC\)](#) की स्थापना हुई ।
 - ICC [संयुक्त राष्ट्र](#) प्रणाली का हसिसा नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को नयितरति करने के लयि इसका एक अलग समझौता है । वर्तमान में 124 देश ICC के रोम संवधि के पक्षकार हैं । **भारत रोम संवधि/ICC का पक्षकार नहीं है ।**
 - **ICC पहला स्थायी अंतरराष्टरीय न्यायालय है** और इसे 1 जुलाई 2002 को या उसके बाद कयि गए नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के वरुद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराधों सहति **अंतरराष्टरीय कानून के तहत** अपराधों पर अधिकार प्राप्त है ।
 - रोम संवधि गंभीर अपराधों के लयि दंड से मुक्तके वरुद्ध लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, तथा अपराधियों की जवाबदेही सुनश्चिति करती है ।
- यह दविस अंतरराष्टरीय न्याय तंत्र तथा दंड से मुक्तके मुद्दे को संबोधति करने तथा वैश्वक शांति एवं सुरक्षा को बढावा देने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढाता है ।

और पढ़ें: [अंतरराष्टरीय आपराधक न्यायालय](#)